[2019] 7 एससीआर 905

पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड और अन्य

बनाम

निर्वाल सिंह

(2019 की सिविल अपील संख्या 4660)

6 मई, 2019

[न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी]

सेवा कानून: नियुक्ति - अनुकंपा नियुक्ति - प्रतिवादी ने अपीलकर्ता के साथ काम करने वाले अपने पिता की मृत्यु के कारण अनुकंपा नियुक्ति की मांग की - उसके आवेदन की तारीख पर अनुकंपा नियुक्ति की नीति लागू थी - हालांकि, उसके अनुरोध को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया गया था कि नई नीति के विचार के कारण नीति के कार्यान्वयन को स्थगित रखा गया था - जब नई नीति लागू हुई, प्रतिवादी को नई नीति के तहत लाभ देने की मांग की गई थी, जिसमें उसे 3 लाख रुपये की पेशकश की गई थी और विकल्प में एक अस्थायी पद की पेशकश की गई थी - प्रतिवादी ने दोनों विकल्पों को अस्वीकार कर दिया - 7 साल बाद, उसने रिट याचिका दायर की - उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को नीति के अनुसार समयबद्ध तरीके से अपने आवेदन पर विचार करने का निर्देश देने के साथ रिट याचिका का निपटारा कर दिया - अपीलकर्ता ने अनुरोध को खारिज कर दिया - दूसरी रिट पर। याचिका, प्रतिवादी को एक दीवानी मुकदमे के समाधान के लिए हटा दिया गया था - आक्षेपित निर्णय द्वारा, प्रतिवादी के पक्ष में राहत दी गई थी - अपील पर, कहा गया: मौलिक सिद्धांत यह है कि अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने का कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं है और इस तरह की अनुकंपा नियुक्ति मौजूदा नीति के अनुसार होनी चाहिए क्योंकि उद्देश्य समय के प्रासंगिक चरण में परिवार की स्थिति में सुधार करना है और यह है योग्यता के नियम से विचलन - प्रतिवादी के रास्ते में एक से अधिक बाधाएं हैं - निवारण के लिए अदालतों से संपर्क करने में देरी हुई - परिवार को तत्काल राहत प्रदान करने का उद्देश्य ही समाप्त हो गया है - पहले की नीति को समाप्त कर दिया गया है और नई नीति लागू होने के बाद, नई नीति के तहत आवेदन पर विचार किया गया था और उपलब्ध विकल्पों की पेशकश उस प्रतिवादी को की गई थी जो इसका लाभ उठाने में विफल रहा था। वही - सोलेटियम की पेशकश एकमात्र उपाय उपलब्ध हो सकता है, विशेष रूप से इस समय - 3 लाख रुपये का मुआवजा पहले पेश किया गया था - वर्तमान नीति के अनुसार, सोलेटियम को 5 लाख रुपये तक संशोधित किया गया है - न्याय के हित में, प्रतिवादी को 5 लाख रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है - हरजाना।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2019 की सिविल अपील संख्या 4660।

2017 के आरएसए संख्या 3975 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 23.03.2018 के निर्णय और आदेश से।

सुश्री उत्तरा बब्बर, सुश्री भावना दुहून, मनन बंसल, अपीलकर्ताओं के वकील।

अक्षय वर्मा, आकाशदीप वर्मा, श्रीमती सुषमा वर्मा, प्रतिवादी के वकील।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था

आदेश

1. अपील की अनुमति दी गई।

2. पक्षकारों के लिए विद्वान वकीलों को सुना।

3. प्रतिवादी ने 17.05.2004 को अपने पिता की मृत्यु के कारण अनुकंपा नियुक्ति की मांग की, जो अपीलकर्ताओं के साथ काम कर रहे थे। आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख को अनुकम्पा नियुक्ति के लिए दिनांक 21-11-2002 की नीति लागू बताई गई है।

4. प्रतिवादी को कोई अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली और यह अपीलकर्ताओं का मामला है कि एक नई नीति पर विचार करने के कारण नीति के कार्यान्वयन को स्थगित रखा गया था। नई नीति दिनांक 23-11-2004 से लागू हुई। प्रतिवादी को नई नीति के तहत लाभ देने की मांग की गई थी, जिसमें उसे 3 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया था। विकल्प में प्रतिवादी को अस्थायी पद का लाभ भी दिया गया था। उन्होंने दोनों विकल्पों को अस्वीकार कर दिया।

5. पहली बार प्रतिवादी ने वर्ष 2011 में रिट याचिका दायर करके किसी न्यायिक मंच से संपर्क किया, जिसे नीति के अनुसार समयबद्ध तरीके से अपने आवेदन पर विचार करने के लिए 12.03.2012 को निपटा दिया गया। हालांकि, याचिकाकर्ता ने इस अनुरोध को खारिज कर दिया। इस फैसले को चुनौती देते हुए दायर दूसरी रिट याचिका में, प्रतिवादी को अनुरोध के अनुसार एक सिविल मुकदमे के उपाय के लिए हटा दिया गया था। प्रतिवादी ने दीवानी मुकदमा दायर किया, जहां शुरू में उसका मुकदमा खारिज कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद अपील की अनुमति दी गई और लागू आदेश के संदर्भ में दूसरी अपील भी खारिज कर दी गई है।

6. इन आदेशों को अब अपीलकर्ताओं द्वारा निरस्त करने की मांग की गई है।

7. जिस मौलिक सिद्धांत को ध्यान में रखा जाना चाहिए वह यह है कि अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने का कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं है और इस तरह की अनुकंपा नियुक्ति मौजूदा नीति के अनुसार होनी चाहिए क्योंकि उद्देश्य समय के प्रासंगिक स्तर पर परिवार की स्थिति में सुधार करना है और यह योग्यता के नियम से विचलन है।

8. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने भारतीय स्टेट बैंक और एक अन्य बनाम राज कुमार (2010) 11 एससीसी 661 में इस न्यायालय के फैसले की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है, जहां पैराग्राफ 8 और 13 निम्नानुसार हैं:

8. अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति भर्ती का स्रोत नहीं है। दूसरी ओर यह सामान्य नियम का अपवाद है कि सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती योग्यता के आधार पर होनी चाहिए, एक खुले निमंत्रण द्वारा चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सभी पात्र व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करना चाहिए। कर्मचारियों के आश्रित, जो दोहन में मर जाते हैं, उनके पास रोजगार का कोई विशेष

दावा या अधिकार नहीं होता है, सिवाय उस रियायत के जो नियोक्ता द्वारा नियमों के तहत या एक अलग योजना द्वारा दी जा सकती है, ताकि मृतक के परिवार को अचानक वित्तीय संकट से उबरने में सक्षम बनाया जा सके। इसलिए अनुकम्पा नियुक्ति का दावा केवल ऐसे रोजगार के लिए नियोक्ता द्वारा बनाई गई योजना से पता लगाया जा सकता है और ऐसी योजना के बाहर कोई अधिकार नहीं है। इस योजना के तहत नियुक्ति केवल तभी की जा सकती है जब योजना लागू हो, न कि इसे समाप्त / वापस लेने के बाद। इसलिए यह इस प्रकार है कि जब किसी योजना को समाप्त कर दिया जाता है, तो योजना के तहत नियुक्ति की मांग करने वाला कोई भी लंबित आवेदन भी समाप्त हो जाएगा, जब तक कि बचाया नहीं जाता है। केवल यह तथ्य कि योजना लागू होने के दौरान एक आवेदन किया गया था, अपने आप में आवेदक के पक्ष में अधिकार पैदा नहीं करेगा।

13. इसके अलावा, जहां पहले की योजना को समाप्त कर दिया गया है और इसे प्रतिस्थापित करने वाली नई योजना विशेष रूप से प्रावधान करती है कि सभी लंबित आवेदनों पर केवल नई योजना के संदर्भ में विचार किया जाएगा, तो नई योजना अकेले लागू होगी। चूंकि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति एक रियायत है और अधिकार नहीं है, इसलिए नियोक्ता अपनी नीतियों, वित्तीय क्षमता और पदों की उपलब्धता के आधार पर किसी भी समय योजना को बंद कर सकता है या योजना को संशोधित कर सकता है।

9. हमारे विचार में उत्तरदाता के रास्ते में एक से अधिक बाधाएं हैं।

10. पहला है 7 साल की अवधि के बाद निवारण के लिए न्यायालयों से संपर्क करने में देरी, भले ही वह अभ्यावेदन दे रहा हो। परिवार को तत्काल सहायता प्रदान करने का उद्देश्य ही समाप्त हो गया है। दूसरा यह है कि पहले की नीति को समाप्त कर दिया गया है और नई नीति लागू होने के बाद, नई नीति के तहत आवेदन पर विचार किया गया है और उपलब्ध विकल्पों को उत्तरदाता को पेश किया गया था जो इसका लाभ उठाने में विफल रहे थे।

11. हमारा ध्यान नई नीति के प्रासंगिक खंड की ओर दिलाया गया है जो निम्नानुसार है:

"उपरोक्त नीतिगत निर्देश निर्देश जारी होने की तारीख से लागू होंगे। जिन मामलों में 4/2002 से पूर्व की नीति को बंद करने के कारण अनुकंपा के आधार पर रोजगार नहीं दिया गया है, उन पर भी विचार किया जाएगा और उपर्युक्त नीतिगत अनुदेशों के अनुसार अनुकम्पा के आधार पर रोजगार के बदले अपेक्षित राहत प्रदान की जाएगी।

12. इस प्रकार हमारा विचार है कि सोलेटियम की पेशकश एकमात्र उपाय उपलब्ध हो सकता है, विशेष रूप से इस समय में।

13. 19 सितंबर, 2004 को तुरंत 3 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया। हमें सूचित किया गया है कि वर्तमान नीति के अनुसार मुआवजे को संशोधित कर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। यह स्थिति होने के नाते और प्रतिवादी को राशि के लाभ से वंचित किया गया है, भले ही वह अपने स्वयं के आचरण से, न्याय के हित को यह निर्देश देकर पूरा किया जाएगा कि आज से दो महीने के भीतर प्रतिवादी को 5 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया जाए।

14. तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है, जिससे पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

अपील की अनुमति दी गई।

इला देओल, एडवोकेट